राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

61 वीं बैठक दिनांक 24 मई, 2017 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या - 1 : 60 वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि	
एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची	क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना
	ख) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग
	ग) आरसेटी
एजेण्डा संख्या - 3 : ग्राम्य विकास योजनाएं	क) *फसल बीमा योजना*
	ख) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना
	ग) डिजिटाइजेशन ऑफ एस.एच.जी. - ई. शक्ति
	घ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
	ङ) डेयरी उद्यमिता विकास योजना
	च) जल संरक्षण एवं प्रबंधन
एजेण्डा संख्या - 4 : समाज कल्याण योजनाएं	क - i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) क - ii) प्रधानमंत्री आवास योजना - घटक ऋण आधारित अनुदान योजना (C.L.S.S.)
	ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान
एजेण्डा संख्या - 5 : अवस्थापना विकास योजनाएं	क) एम.एस.एम.ई. ऋण
	ख) एन.पी.ए.
	ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MUDRA)
	घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)
	ङ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
	च) स्टैण्ड अप इण्डिया
एजेण्डा संख्या - 6 : वित्तीय समावेशन	क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट
	ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना
	ग) समस्त बचत बैंक खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग
	घ) सामाजिक बीमा योजनाएं
	ङ) वित्तीय साक्षरता
एजेण्डा संख्या 7 : बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण	क) ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण
	ख) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17
	ग) ऋण-जमा अनुपात
एजेण्डा संख्या - 8 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड</u>
<u>61 वीं बैठक दिनांक 24 मई, 2017 की कार्य सूची</u>

<u>एजेण्डा संख्या - 1 : 60 वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि</u> :

एस.एल.बी.सी. की 60 **वीं** बैठक दिनांक 17 **फरवरी**, 2016 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित **चार उप-समितियों** की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 03 मई, 2017**
2. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 09 मई, 2017**
3. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक **15 मई, 2017**
4. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक **16 मई, 2017**

<u>एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची</u> :

<u>क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना</u> :
<u>(Online Creation of Charge on Land Records by Bank)</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **60** वीं बैठक दिनांक **17** फरवरी, **2017** में मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखंड शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करने हेतु दिनांक **21** अप्रैल, **2017** को राजस्व विभाग, एन.आई.सी. व प्रमुख बैंकों तथा दिनांक **27** अप्रैल, **2017** एवं **11** मई, **2017** को एन.आई.सी. तथा प्रमुख बैंकों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक **16** मई, **2017** को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित उक्त कार्यशालाओं में बैंकों द्वारा संबंधित सॉफ्टवेयर में अपेक्षित सुधार हेतु दिए गए सुझावों के अनुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि **Real Time Display** के संदर्भ में बैंकों द्वारा **"देव भूमि वेबपोर्टल"** पर भूमि अभिलेखों में प्रभार अंकित करने संबंधी आवेदन किए जाने पर तहसील स्तर पर की गयी वांछित कार्रवाई को देव भूमि वेबपोर्टल पर तहसील कार्यालय द्वारा दैनिक आधार पर अपलोड किया जाएगा, जो कि अगले दिन बैंकों को परिलक्षित होगा।

पुन: तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा प्रभारी सचिव, राजस्व, उत्तराखंड शासन के साथ हुई बैठक का संदर्भ देते हुए अवगत कराया गया कि प्रभारी सचिव, राजस्व द्वारा **देव भूमि वेबपोर्टल** पर दैनिक आधार पर डाटा अपडेट करने के स्थान पर तहसील स्तर पर प्रभार अंकित किए जाने वाले रिकॉर्ड की सूचना **देव भूमि पोर्टल** पर सीधे **(Real Time)** परिलक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि एन.आई.सी. द्वारा इससे संबंधित नया सॉफ्टवेयर विकसित करने तथा उसका परीक्षण आदि कार्यों में कम से कम छ: माह का समय लगने की संभावना है।

इस पर अध्यक्ष महोदया, प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देश दिए गए कि चूँकि भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित किए जाने हेतु वेब एप्लीकेशन दो वर्ष पूर्व से ही तहसील डोईवाला एवं विकास नगर में बैंकों के द्वारा पायलट आधार पर सफलतापूर्वक प्रयोग की जा रही है, अत: वर्तमान में दैनिक आधार पर तहसील स्तर द्वारा डाटा अपडेट करते हुए वर्तमान वेब एप्लीकेशन को ही पूर्ण राज्य में लागू किया जाना उचित प्रतीत होता है। यद्यपि अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए उनके द्वारा अपर सचिव (वित्त) को निर्देशित किया गया कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व), एन.आई.सी. एवं प्रमुख बैंकों की बैठक आहूत करने के लिए मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध किए जाने की अपेक्षा की गयी।

ख) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग : "SLBC - 39" :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 60वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2017 में मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखंड शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों के ऑन-लाइन फाईलिंग करने से संबंधित सॉफ्टवेयर के विषय में दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को राजस्व विभाग, एन.आई.सी. तथा प्रमुख बैंकों तथा दिनांक 27 अप्रैल, 2017 एवं 11 मई, 2017 को एन.आई.सी. तथा प्रमुख बैंकों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. के मार्गदर्शन में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के प्रतिनिधियों द्वारा संबंधित सॉफ्टवेयर में वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाईन फाईलिंग Sample के तौर पर करने के साथ विस्तार से चर्चा की गयी।

दिनांक 16 मई, 2017 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्यशालाओं में सभी स्तर से प्राप्त सुझावों के अनुरूप संबंधित सॉफ्टवेयर में अपेक्षित संशोधन कर दिए गए हैं। बैंकों के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र फाईल किए जाने के समय लागू ब्याज दर तथा तदनुपरांत ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन की सूचना हेतु संबंधित सॉफ्टवेयर में विकल्प उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिस पर तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन ने बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग का Authorization डिजीटल हस्ताक्षर/ई-टोकन के माध्यम से किए जाने की अपेक्षा की है, जिस पर सभी बैंकों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

31 मार्च, 2017 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत् है :

(**₹ लाखों में**)

लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति				**कुल लम्बित आर.सी.**	
एक वर्ष से कम		**एक वर्ष से अधिक**			
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
8603	6875.16	29674	24467.90	38277	31343.06

सभी बैंक वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान करना सुनिश्चित करें।

<u>ग) आरसेटी</u> :

राज्य में कार्यरत **13** आरसेटी संस्थानों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में **265** प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत **6630** अथ्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के सापेक्ष **279** प्रशिक्षण कार्यक्रम में **6922** अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उत्तराखंड राज्य में आरसेटी संस्थानों द्वारा कार्य आरम्भ करने (01.04.2011) से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति निम्नवत है :

कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिशत
1404	**38326**	**25986**	**68%**

मार्च, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों द्वारा पिछले वर्षों में बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय किए गए **₹** 26.25 **लाख** की प्रतिपूर्ति लम्बित है। शासन से अनुरोध है कि लम्बित राशि का आरसेटी संस्थानों को शीघ्र भुगतान करवाने की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुचारु रूप से संभव हो सके।

<u>एजेण्डा संख्या – 3 : ग्राम्य विकास योजनाएं</u> :

<u>फसल बीमा योजना</u> :

i) वित्तीय वर्ष **2016-17** के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - खरीफ तथा रबी के अंतर्गत क्रमशः 1,18,324 तथा 78,824 (**कुल** 1,97,148) कृषकों की फसल का बीमा किया गया है। इसी प्रकार रिस्ट्रक्चर्ड मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ तथा रबी के अंतर्गत क्रमशः क्रमशः 8,467 तथा 7,539 (**कुल** 16,006) कृषकों की फसल बीमित की गयी।

ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - खरीफ 2017 तथा **रिस्ट्रक्चर्ड मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ** 2017 के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समस्त बैंकों को प्रेषित कर दिया गया है। समस्त बैंक नियंत्रक अपनी अधीनस्थ शाखाओं को अधिसूचना के अनुरूप संसूचित फसलों हेतु स्वीकृत / वितरित किए गए ऋण खातों का अनिवार्य रूप से शत प्रतिशत बीमा करना सुनिश्चित करने हेतु समुचित निर्देश जारी करें।

<u>ख) किसानों की आय वर्ष</u> <u>2022</u> **<u>तक दोगुना करना</u>** :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **60** वीं बैठक दिनांक **17** फरवरी, **2017** में अध्यक्ष महोदय द्वारा नाबार्ड को किसानों की आय वर्ष **2022** तक दोगुना करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक **16** मई, **2017** को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इसके लिए उनके द्वारा अपने प्रधान कार्यालय से जानकारी मांगी गयी, लेकिन इस विषयक दिशानिर्देश प्राप्त होना प्रतीक्षित है। बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा नीति आयोग, भारत सरकार के माध्यम से संबंधित दिशानिर्देश प्राप्त करने हेतु अपर सचिव (वित्त) को निर्देशित किया गया तथा शासन स्तर पर टॉस्क फोर्स समिति के गठन के लिए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आहूत करने की अपेक्षा की गयी।

ग) डिजिटाइजेशन ऑफ एस.एच.जी. – ई. शक्ति :

दिनांक **16 मई, 2017** को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जिला देहरादून में ई-शक्ति के अंतर्गत 1,045 स्वयं सहायता समूहों के डिजीटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा एन.आर.एल.एम. के लगभग **250** समूहों के डिजीटाइजेशन का अभी शेष है। यह भी अवगत कराया गया है कि इस वर्ष छः अन्य जिलों - हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा तथा उधम सिंह नगर में स्वयं सहायता समूहों के डिजीटाइजेशन का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा रहा है। इस बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि वे नाबार्ड के सहयोग से एन.आर.एल.एम. के अवशेष बचे समूहों के डिजीटाइजेशन के कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

घ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : **"SLBC - 18" :**

वित्तीय वर्ष **2016-17** की समाप्ति तक **"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन"** योजनांतर्गत बैंकों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुरुप निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है :

(**₹ लाखों में**)

वार्षिक लक्ष्य	**प्राप्त आवेदन पत्र**	**स्वीकृत आवेदन पत्र**	**वितरित आवेदन पत्र**	**वितरित ऋण राशि**	**निरस्त / वापिस आवेदन पत्र**
925	475	318	255	247.51	157

ङ) डेयरी उद्यमिता विकास योजना : "SLBC – 46" :

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष **2016-17** में बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुरूप प्रगति निम्नवत् है :

(**₹ लाखों में**)

बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	**स्वीकृत आवेदन पत्र**	**वितरित आवेदन पत्र**	**वितरित ऋण राशि**
2785	2769	2157	2892.44

च) जल संरक्षण एवं प्रबंधन :

Indian Council of Agriculture Research – Central Research Institute for Dryland Agriculture की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सात जिले बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत तथा रुद्रप्रयाग सूखाग्रस्त तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र के रुप में चिन्हित किए गए हैं। इन जिलों में सूखा एवं कम वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए नाबार्ड द्वारा **"जल संरक्षण एवं प्रबंधन अभियान"** चलाया जा रहा है। नाबार्ड से अनुरोध है कि इसके संदर्भ में बैंकों की भूमिका स्पष्ट करते हुए सदन को विस्तार से अवगत कराएं, जिससे कि बैंकों के स्तर से वांछित सहयोग प्रदान किया जा सके।

एजेण्डा संख्या - 4 : समाज कल्याण योजनाएं :

क – i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) : "SLBC - 16 एवं 17" :

एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति तक बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
1280	2796	1469	1448	1626.60	1327

दिनांक **16 मई, 2017** को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया प्रमुख सचिव **(**ग्राम्य विकास**),** उत्तराखंड शासन द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष **2017-18** हेतु योजनांतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण कर यथाशीघ्र बैंकों को प्रेषित करना तथा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष शीघ्र पर्याप्त संख्या में बैंकों को ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।

क – ii) प्रधानमंत्री आवास योजना - घटक ऋण आधारित अनुदान योजना (Credit Link Subsidy Scheme) :

सब को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **"प्रधानमंत्री आवास योजना घटक ऋण आधारित अनुदान योजना"** लागू की गयी है, जिसके क्रियान्वयन हेतु नेशनल हाऊसिंग बैंक तथा हुडको नोडल एजेन्सी हैं। योजना के प्रारुप के अनुसार ₹ 6,00,001/- **से ₹ 18,00,000/-** तक की वार्षिक आय वाले परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी मकान नहीं है, वे ऋण की पात्रता रखते हैं तथा सामान्य प्रक्रिया के तहत बैंकों में ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। बैंकों द्वारा लाभार्थियों को देय ब्याज सब्सिडी का भुगतान हुडको या नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से किया जाना है। अब तक उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा कुल **127** लाभार्थियों को ₹ 12.04 **करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं। हुडको से आग्रह है कि योजना के संबंध में पुन: विस्तार से सदन को अवगत कराएं।

ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान :

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति तक बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

i) अनुसूचित जाति : "SLBC - 15"

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्रों की संख्या
1459	1616	1414	1368	470.07	202

ii) अनुसूचित जन-जाति :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	आवेदन स्वीकृत	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्रों की संख्या
100	116	97	97	20.05	19

iii) अल्पसंख्यक समुदाय :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्रों की संख्या
2**25**	207	102	95	123.78	105

दिनांक 09 **मई**, 2017 **को आयोजित समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय अपर सचिव** (**वित्त**), **उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 225 के सापेक्ष मात्र 207 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाने पर संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष** 2017-18 **में बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किया जाए। साथ ही बैंकों को प्रेषित 207 आवेदन पत्रों के सापेक्ष मात्र 102 पर ऋण स्वीकृति प्रदान करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि आगामी वर्ष** 2017-18 **में उन्हें आबंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।**

<u>एजेण्डा संख्या - 5 : अवस्थापना विकास योजनाएं</u> :

<u>क) एम.एस.एम.ई. ऋण : " SLBC – 27 "</u> :

सभी बैंकों द्वारा राज्य में एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत **31** मार्च, **2017** तक 3,10,008 इकाईयों को कुल **₹** 15,157 **करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं जो कि दिसम्बर, **2016** त्रैमास की तुलना में **₹ 1,114** करोड अधिक है। समस्त बैंक इस क्षेत्र में अधिक से अधिक इकाईयों को ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक **03** मार्च, **2017** को चेन्नई में एम.एस.एम.ई. सेक्टर में संस्थागत ऋण प्रवाह हेतु स्थायी सलाहकार समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में सभी बैंकों तथा इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से "**udyamimitra.in**" पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं एवं फायदे के संबंध में अपने क्षेत्राधिकारियों **/** सदस्यों के मध्य वांछित जागरुकता लाने हेतु समुचित कार्यवाही करें।

<u>ख) एन.पी.ए. : " SLBC - 30 C "</u> :

एम.एस.ई. **(MSE)** के अंतर्गत बैंकों के 21,147 ऋण खातों में **₹** 901 करोड़ के एन.पी.ए. हैं। दिनांक **09** मई, **2017** को संपन्न अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय अपर मुख्य सचिव (कृषि एवं अवस्थापना विकास आयुक्त), उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप प्रमुख बैंकों से अनुरोध है कि एम.एस.ई. की रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन एवं पनुर्वास हेतु अपने सुझावों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत कराएं, जिससे कि शासन द्वारा इस विषय पर समुचित उपाय किए जा सकें।

दिनांक **03** मार्च, **2017** को चेन्नई में एम.एस.एम.ई. सेक्टर में संस्थागत ऋण प्रवाह हेतु स्थायी सलाहकार समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन से अनुरोध है कि वे अपने सदस्यों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा " **Framework for revival & rehabilitation of MSMEs**" विषय पर जारी सर्कुलर **दिनांकित** 17 **मार्च**, 2016 के अनुरुप संबंधित बैंकों में रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन एवं पनुर्वास के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु जागरुक करें।

ग) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना : " SLBC – 28 " :

वित्तीय वर्ष **2016-17** में सभी बैकों द्वारा **"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"** के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(**₹ करोड़ों में**)

योजना	**ऋण राशि सीमा**	**निर्धारित लक्ष्य राशि**	**वितरित ऋणों की संख्या**	**वितरित ऋण राशि**
शिशु	**₹ 50000** तक के ऋण **(**ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित**)**	**33743.00**	**36819**	**94.16**
किशोर	**₹ 50,001** से **₹** 5 लाख	**80414.00**	**20695**	**462.20**
तरूण	**₹ 5** लाख से **₹ 10** लाख	**63430.00**	**4351**	**325.41**
	कुल संख्या एवं ऋण राशि	177587.00	61865	881.77

घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) : " SLBC – 7 " :

सभी बैंकों द्वारा उपरोक्त योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष **31 मार्च, 2017** तक निम्नवत् ऋण वितरित किए गए हैं :

(**₹ लाखों में**)

लक्ष्य	**बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र**	**स्वीकृत आवेदन पत्र**	**वितरित आवेदन पत्र**	**वितरित ऋण राशि**	**निरस्त / वापिस आवेदन पत्र**
DIC – 469	1572	622	598	1901.92	950
KVIC – 352	532	195	182	1339.26	337
KVIB – 352	669	318	307	975.93	351
Total - 1173	**2773**	**1135**	**1087**	**4217.11**	**1638**

दिनांक 09 मई, 2017 को आयोजित अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अपर निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उत्तराखंड राज्य को मार्जिन मनी वितरण हेतु आबंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करने पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

ङ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना : " SLBC – 9 " :

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति तक सभी बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में)

लक्ष्य	**बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र**	**स्वीकृत आवेदन पत्र**	**वितरित आवेदन पत्र**	**वितरित ऋण राशि**	**निरस्त / वापिस आवेदन पत्र**
वाहन - 249	260	194	189	1246.07	66
गैर-वाहन - 251	250	181	168	1705.52	69
कुल योग - 500	510	375	357	2951.59	135

दिनांक 09 मई, 2017 को आयोजित अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत आवेदन पत्रों का ऑन-लाइन प्रेषण एवं मॉनिटरिंग हेतु सॉफ्टवेयर तैयार है तथा आशा व्यक्त की कि एक महीने के अंदर इस के माध्यम से कार्य करना आरम्भ हो जाएगा।

च) स्टैण्ड अप इण्डिया : " SLBC - 44 " :

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा (जिला सहकारी बैंक के अतिरिक्त) को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा एक जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम ₹** 10 **लाख से अधिकतम ₹** 100 **लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर बैंकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**वर्ग**	**स्वीकृत ऋणों की संख्या**	**स्वीकृत ऋण राशि**
1	महिला	**444**	**94.94**
2	अनुसूचित जाति	**60**	**13.70**
3	अनुसूचित जनजाति	**31**	**6.07**
	योग	535	114.71

एजेण्डा संख्या – 6 : वित्तीय समावेशन :

क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी – वी.-सैट :

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आंबटित कनेक्टिविटी रहित 1181 एस.एस.ए. में से 260 एस.एस.ए. में विभिन्न बैंकों द्वारा वैकल्पिक माध्यमों से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आरम्भ कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि संबंधित बैंकों द्वारा विभिन्न बैठकों के अंतर्गत की गयी है। शेष 921 एस.एस.ए. में से बैंकों द्वारा 666 एस.एस.ए. के लिए वी.-सैट के आर्डर किए गए हैं, जिनमें से **361** एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित हो गए हैं। अभी भी 255 एस.एस.ए. हेतु (उत्तराखंड ग्रामीण बैंक - **202,** नैनीताल बैंक - **49,** इलाहाबाद बैंक - **02** एवं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला - **02)** वी.-सैट के आर्डर प्रेषित किए जाने शेष हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अभी तक स्थापित **202** वी.-सैट में कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है जिसके संदर्भ में संबंधित वेण्डर को सूचित किया गया है, अत: उक्त समस्या का समाधान होने के उपरांत ही शेष बचे स्थानों हेतु वी.-सैट आर्डर करना

व्यवहार्य होगा। नैनीताल बैंक तथा इलाहाबाद बैंक को वित्तीय समावेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप-समिति की बैठकों में निर्देशित किया जाता रहा है कि वे उन्हें आबंटित एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित करने के कार्य को अविलम्ब पूरा करें। किंतु अभी भी इन एस.एस.ए. में वी.-सैट लगाने का कार्य लम्बित है।

<u>ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना</u> :

अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

		दिसम्बर, 2016	15 **मई**, 2017 **तक**
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों से आच्छादित परिवारों की संख्या	**20,56,975**	**20,56,975**
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या	**21,29,128**	**21,58,234**
ग)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों में आधार सीडिंग की संख्या	**9,90,869**	**13,22,119** (61.25%)
घ)	बैंक के समस्त बचत खातों में आधार सीडिंग की संख्या 1. **कुल बचत खातों की संख्या** - 1,15,47,732 2. **उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या** - 1,00,86,290 3. **आयु वर्ग** 0 **से** 9 **वर्ष की जनसंख्या** - 19,83,665 4. **आधार संख्या से लिंक किए जाने योग्य जनसंख्या** (2-3) - 81,02,625	**41,05,431**	**66,63,464** (57.70%) (66.06%) (82.23%)
ङ)	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में जारी किए गए रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	**17,33,755**	**18,14,792**
च)	अवितरित **(Undelivered)** रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	**1,31,009**	**1,18,542**
छ)	अवितरित **(Undelivered)** रु-पे पिन कार्ड की संख्या	**1,92,943**	**1,24,283**

दिनांक 03 मई, 2017 को बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत सभी बैंक खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग तथा रु-पे डेबिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें। अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि अवितरित रु-पे डेबिट कार्ड तथा अवितरित रु-पे पिन कार्ड की संख्या में आशानुरूप प्रगति नहीं हुई है। अत: सभी बैंक अवितरित रु-पे डेबिट कार्ड उनके खाताधारकों को वितरित करने हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्ययोजना बनाएं। विशेष रुप से पंजाब नेशनल बैंक, जिनके प्रतिनिधि के द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जन - धन योजना के अधिकांश खाताधारक अब क्षेत्र को छोड़कर जा चुके हैं, जिसकी अधिकृत पुष्टि अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन एवं भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध करायी जानी थी, कृपया यथाशीघ्र पुष्टि उपलब्ध करायी जाए।

<u>ग) समस्त बचत बैंक खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग</u> :

उक्त संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखंड शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को पत्र संख्या 226/सी.एम.आर.(8)/स.वि.(बैं.)/2017 दिनांक 11 मई, 2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिला स्तरीय फील्ड स्टाफ के माध्यम से जनसाधारण से उनके बचत खातों में आधार सीडिंग हेतु आधार कार्ड की छायाप्रति तथा बैंक खाते में आधार सीडिंग किए जाने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त कर संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिनके द्वारा इन्हें संबंधित बैंक शाखा को आधार सीडिंग हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। **इसके लिए हम मुख्य सचिव महोदय का आभार व्यक्त करते हैं।**

इसी क्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित कर आधार सीडिंग हेतु सहमति पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त कर संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा प्राप्त सहमति पत्रों की साप्ताहिक सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध कराएं। साथ ही बचत खातों में की गयी आधार सीडिंग की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा कर जिलाधिकारी महोदय तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रगति रिर्पोट प्रेषित करें, जिससे कि वांछित रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जा सके। समस्त बैंक नियंत्रक इस संबंध में अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को निर्देशित करें कि वे आधार सीडिंग हेतु सहमति पत्र प्राप्त होते ही उच्च प्राथमिकता के आधार पर संबंधित बचत खातों में आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें, जिससे कि समस्त बचत बैंक खातों में आधार सीडिंग किए जाने के लक्ष्य की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित हो सके।

<u>घ) सामाजिक बीमा योजनाएं</u> :

इस योजना के अंतर्गत अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

योजना		**दिसम्बर**, 2016	15 **मई**, 2017
क)	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	**13,53,797**	**13,94,065**
ख)	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	**3,91,277**	**4,02,553**
ग)	अटल पेंशन योजना	**26,004**	**36,285**

सभी बैंक अधिक से अधिक संख्या में पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत करवाएं।

<u>ङ) वित्तीय साक्षरता</u> :

i) नीति आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार, जनसाधारण के बीच विशेष कर ग्रामीण जनता में कैश-लेस लेन-देन को बढ़ावा देने हेतु सभी बैंक नियंत्रक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक डिजीटल पेमेंट के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने हेतु जनसाधारण एवं व्यापारियों को जागरुक एवं प्रेरित करें। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में सभी अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक शाखाओं के माध्यम से डिजीटल लेन-देन हेतु सतत् अभियान चलाकर जनसाधारण को प्रेरित कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी **डिजिटल ट्रानजेक्शन** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 05 **से** 09 **जून**, 2017 तक **"वित्तीय साक्षरता सप्ताह"** मना रहा है, जिसमें वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा पूरे पाँच दिनों तक पिछड़े तथा बैंक रहित क्षेत्रों में विशेष कैम्प आयोजित कर ग्रामीण जनता को डिजीटल लेन-देन के प्रति जागरुक एवं प्रोत्साहित किया जाना है। साथ ही बैंकों की प्रत्येक ग्रामीण शाखा उक्त पाँच दिनों में से किसी भी एक दिन कार्य दिवस की समाप्ति के उपरांत एक घण्टे का विशेष वित्तीय साक्षरता कैम्प आयोजित करना सुनिश्चित करेंगी। दिनांक 03 मई, 2017 को बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय

समावेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि इन साक्षरता कैम्प में यू.आई.डी.ए.आई. विभाग को भी आमंत्रित किया जाए, जिससे कि शेष बचे बचत खातों में आधार सीडिंग / मोबाइल सीडिंग करवायी जा सके। साथ ही इन कैम्प में व्यापारियों व व्यवसायिक गतिविधि संचालनकर्ताओं को **ऑन-लाइन / डिजिटल ट्रान्जेक्शन** एवं **आधार आधारित भुगतान (Aadhaar Enable Payment System) – BHIM** को बढ़ावा देने हेतु जानकारी / प्रशिक्षण भी प्रदान कराया जाए।

ii) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप सभी वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी नियंत्रणाधीन प्रत्येक ग्रामीण शाखा अपने कार्यक्षेत्र / सेवाक्षेत्र के ग्रामों में प्रत्येक माह कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करें, जिसमें ग्रामीण जनता को सरकार प्रायोजित रोजगारपरक ऋण योजनाओं / बैंक योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ उन्हें नकद रहित लेन-देन पद्धति को अपनाने हेतु जागरुक करने पर विशेष बल दिया जाए।

01 **अप्रैल**, 2016 **से** 31 **मार्च**, 2017 **तक आयोजित साक्षरता कैम्प की संख्या** :

	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	**एस.एच.जी. हेतु कैम्प की संख्या**	**कुल कैम्प की संख्या**
मार्च त्रैमास	**255**	**186**	**441**
01.04.2016 से **31.03.2017** तक	**1629**	**1378**	**3007**

सभी बैंक एफ.एल.सी. कैम्पों से संबंधित त्रैमासिक सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 7 : बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण :

क) ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण :

संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए कि वित्तीय वर्ष **2017-18** के अंतर्गत विकास योजनाओं के तहत प्रायोजित ऋण आवेदन पत्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में **क्रमश**: 33%, 33% **एवं** 34% के अनुपात में बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे कि त्रैमासवार समयबद्ध प्रगति दर्ज की जा सके। साथ ही प्रेषित आवेदन पत्रों की शाखावार सूचना संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी प्रेषित किया जाए जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। साथ ही सभी बैंक नियंत्रक अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं निर्देशित करें कि वे प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण **"ऋण आवेदन पत्र प्राप्त एवं निस्तारण रजिस्टर"** में दर्ज कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करें। साथ ही बैंक के उच्चाधिकारियों द्वारा शाखा भ्रमण के दौरान उक्त रजिस्टर का अनिवार्यत: निरीक्षण किया जाए।

ख) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 : " SLBC - 03 " :

वित्तीय वर्ष **2016-17** हेतु बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य **₹ 16,385 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा मार्च, **2017** तक **₹ 12,842 करोड़** की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में दर्ज की गयी है**।**

(₹ करोड़ों में)

गतिविधि	**वार्षिक लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**उपलब्धि प्रतिशत**
फसली ऋण	5753	4038	70%
सावधि ऋण	2810	1287	46%
फार्म सेक्टर (कुल)	**8563**	**5325**	**62%**
नॉन-फार्म सेक्टर	4451	4587	103%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3371	2930	87%
कुल योग	16385	12842	78%

ग) ऋण-जमा अनुपात : " SLBC – 01 " :

मार्च, 2017 की समाप्ति पर राज्य का **ऋण-जमा अनुपात 55%** है, जो दिसम्बर, 2016 त्रैमास से **3%** बढ़ा है।

निम्न **बैकों** का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है। संबंधित बैंक इसे बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।

बैंक	**शाखाओं की संख्या**	**मार्च, 2017**
इण्डियन बैंक	12	24%
सेन्ट्रल बैंक	41	27%
सिडींकेट बैंक	51	37%

निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात **30 प्रतिशत** से कम है।

जिला	**बैंक शाखाओं की संख्या**	**मार्च, 2017**
अल्मोड़ा	146	20%
बागेश्वर	50	23%
पौड़ी	195	24%
रुद्रप्रयाग	55	26%
चमोली	92	29%

उपरोक्त जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक विभिन्न विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से कार्ययोजना तैयार कर पहाड़ी जिलों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक 40 प्रतिशत की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करें।

एजेण्डा संख्या - 8 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।

****